25/3/25 पत्रावली पेश हुई । आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है । पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है । पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 26/3/25 को पेश हो ।

23/6/25 आज्ञा से रीडर

23/6/25 श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश कमांक न्याय / विविध / 2026 / 42033 दिनांक 13 / 2 / 25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दिगारधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53,88,89,92क,183,188,एवं 212 के अन्तर्गत निस्तारण हेतु तहसील उदयपुर की पत्रावलिया अंतरित होकर वास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है । उक्त प्रकरणों में संलग्न प्रश्नगत को वास्ते सुनवाई तलख किया जाकर कार्यवाही की जावे है । उक्त प्रकरणों की सुनवाई भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जारी दिशा निर्देश तथा जोधपुर एवं अजमेर पीठ के निर्णयन 1956 की धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियो में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं न्यायपूर्ण निस्तारण दिये जाने हेतु अगली तारीख दिनांक 23/6/25 स्थान Sawaipur पेश हुई । पक्ष मतान उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17/7/25 को पेश हो ।

रीडर
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

17/7/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है । पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 5/8/25 को पेश हो ।

आज्ञा से रीडर

5/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अधि. उप.) प्रार्थी अधिवक्ता श्री निवेदन किया कि पार्टी द्वारा जरूरत मूल बाद अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। वर्तमान राजस्व विवाद की नकल अदालत पोर्टल से प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बेसी पटवार हल्का किशनगढ़ तहसील कोटडी की आराजीन-1151। रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः पालना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पालना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुने हलफाज सुनाया गया। पत्रावली कौशल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

5/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा